



Neutral Citation No - 2026:AHC:44560-DB

सुरक्षित दिनांक : 26.11.2025

उद्घोषित दिनांक : 26.02.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

वाणिज्यिक अपील संख्या - 2025 की 30

मेसर्स ईशान्त माइन्स, अपने स्वामी के माध्यम से एवं एक अन्य अपीलकर्तागण

बनाम

मेसर्स सुयश जायसवाल, अपने स्वामी श्री सुयश जायसवाल के माध्यम सेप्रतिवादी

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता : वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग खन्ना, साथ में गौरव त्रिपाठी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, साथ में अभिषेक

तिवारी, सौमित्र द्विवेदी

मुख्य न्यायाधीश न्यायालय

माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

(माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली द्वारा)

1. यह अपील, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 ('अधिनियम') की धारा 13 के अधीन, वाणिज्यिक न्यायालय, गोरखपुर द्वारा वाणिज्यिक वाद संख्या - 2025 का 5 में पारित निर्णय दिनांकित 05.06.2025 एवं आज्ञाप्ति दिनांकित 06.06.2025 के विरुद्ध लक्षित है, जिसके द्वारा

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रतिवादी-वादी द्वारा 1,44,75,510/- रुपये की राशि हेतु संस्थित वाद को वाद संस्थापन की तिथि अर्थात् 18.12.2023 से संदाय की तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज के साथ आज्ञप्त किया गया।

2. वाद वादी द्वारा बालू की आपूर्ति के मद में राशि की वसूली हेतु संस्थित किया गया था। वाद में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिकथन किया गया था कि वादी ने बचावकर्तागण के विरुद्ध बिल की गई अपनी राशियों की वसूली की प्रक्रिया संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के समक्ष कार्यवाही संस्थित की, जो सन्दर्भ संख्या - 2022 का 31 के माध्यम से आरम्भ की गई थी, किन्तु बारंबार सूचनाओं के बावजूद बचावकर्तागण उक्त कार्यवाही में प्रतिभाग करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 20.02.2023 को कार्यवाही समाप्त हो गई। उक्त अभिकथन मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 12-A की अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु किया गया था।

3. वाणिज्यिक न्यायालय ने सुनवाई की प्रथम तारीख पर उक्त पहलू को संज्ञान में लिया और वादी द्वारा अपेक्षित न्यायालय शुल्क के भुगतान के उपरान्त अपीलकर्तागण-बचावकर्तागण को समन जारी किए गए।

4. तदुपरान्त, जब सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से अपीलकर्तागण पर सूचनाओं की तामील नहीं हो सकी, तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश V नियम 20 के अधीन प्रतिस्थापित तामील की अनुमति प्रदान की गई, जिसके अनुसरण में प्रकाशन होने पर समाचार पत्र दिनांकित 07.08.2024 प्रस्तुत किया गया। दिनांक 23.08.2024 को बचावकर्तागण उपस्थित हुए और वकालतनामा दाखिल किया; लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिनांक 10.12.2024 को समाप्त कर दिया गया और मामला एकपक्षीय कार्यवाही हेतु नियत किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के शपथपत्र प्रस्तुत किए जाने और दिनांक 07.03.2025 को लिखित तर्क प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, बचावकर्तागण की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका विनिश्चय दिनांक 11.03.2025 को किया गया, जिसमें लिखित अभिकथन दाखिल करने का अवसर मना कर दिया गया, किन्तु लिखित तर्क प्रस्तुत करने/मौखिक बहस करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसके आधार पर अपीलकर्तागण-बचावकर्तागण द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. लिखित अभिवचनों में, अपीलकर्तागण-बचावकर्तागण की ओर से मुख्य अभिवाक् अधिनियम की धारा 12-A के उपबन्धों का अननुपालन था। **पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम रखेजा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड : 2022 SCC OnLine SC 1028** पर यह तर्क देने हेतु अवलंब किया गया कि अधिनियम की धारा 12-A के उपबन्धों के अननुपालन के आधार पर वादपत्र को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के अधीन नामंजूर किया जा सकता है। यह इंगित किया गया कि वादी ने पूर्व में 20 लाख रुपये की राशि हेतु एक वाद संस्थित किया था, जिस पर दिनांक 03.11.2022 को मामला संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता हेतु निर्दिष्ट किया गया जहाँ इसे वाद संख्या - 2022 का 31 के रूप में पंजीकृत किया गया और अपीलकर्तागण के अनुपस्थित रहने के कारण मध्यस्थता विफल हो गई। यह निवेदन किया गया कि 1,44,75,510/- रुपये की राशि हेतु वर्तमान वाद संस्थित करने से पूर्व अधिनियम की धारा 12-A के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया और अनुचित रूप से एक विफल मध्यस्थता पर अवलंब किया गया जो केवल 20 लाख रुपये के दावे से सम्बन्धित थी, अतः वाद खारिज किए जाने योग्य था।

6. वादी द्वारा इन तर्कों का प्रतिवाद इस दावे के साथ किया गया कि यद्यपि संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता में उठाया गया विवाद 1,44,75,510/- रुपये की सम्पूर्ण राशि हेतु था, किन्तु न्यायालय शुल्क के भुगतान हेतु धनाभाव के कारण, उस समय केवल दावे को सीमित रखने का एक निवेदन किया गया था और मध्यस्थता विफल हो जाने के उपरान्त, सम्पूर्ण राशि हेतु वाद संस्थित किया गया तथा न्यायालय शुल्क का भुगतान किया गया, अतः नवीन मध्यस्थता आरम्भ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इसलिए उठाए गए अभिवाक् में कोई सार नहीं था।

7. वाणिज्यिक न्यायालय ने पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् अधिनियम की धारा 12-A के उपबन्धों के अननुपालन सम्बन्धी अभिवाक् तथा अपीलकर्तागण द्वारा उठाए गए अन्य अभिवाकों को अस्वीकार कर दिया और वाद को उपर्युक्तानुसार आज्ञप्त किया। व्यथित होकर, वर्तमान अपील दायर की गई है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. अपीलकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ऋजुतापूर्वक यह निवेदन किया कि किसी लिखित अभिकथन के अभाव में, अपीलकर्तागण तथ्यात्मक पहलुओं पर निर्णय की विधिमान्यता को प्रश्नगत करने की स्थिति में नहीं हैं। तथापि, यह प्रबल रूप से तर्क दिया गया कि वाणिज्यिक न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में न्यायोचित नहीं था कि वादी ने अधिनियम की धारा 12-A की अपेक्षाओं का अनुपालन किया था। इस बात पर बल दिया गया कि अधिनियम की धारा 12-A के उपबन्धों का घोर अननुपालन हुआ है और जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पाटिल ऑटोमेशन (उपरोक्त)** के प्रकरण में निर्धारित किया गया है, वादपत्र अस्वीकार किए जाने योग्य था, जिसे वाणिज्यिक न्यायालय ने अपेक्षा की त्रुटिपूर्ण व्याख्या के कारण करने में विफलता की है और इसलिए, निर्णय एवं आज्ञाप्ति अभिखण्डित एवं अपास्त किए जाने योग्य हैं।

9. यह बल दिया गया कि प्रत्यर्थागण द्वारा अवलंबित संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता की विफलता केवल 20 लाख रुपये के दावे से संबंधित है और वर्तमान वाद में, जो 1,44,75,510/- रुपये की राशि हेतु संस्थित किया गया था, वह प्रवृत्त नहीं हो सकती थी और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 12-A के उपबन्धों के अननुपालन हेतु वाद खारिज किए जाने योग्य था।

10. विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 03.11.2022 को वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष संस्थित वाद और उसी दिन वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा उसे संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता हेतु निर्दिष्ट करते हुए पारित आदेश का संदर्भ दिया।

11. मध्यस्थता आवेदन प्ररूप, जहाँ दावे की मात्रा 20 लाख रुपये दर्शायी गई थी, का उल्लेख पुनः इस बात पर बल देने हेतु किया गया कि उक्त संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता केवल 20 लाख रुपये के दावे के संबंध में था और जहाँ तक वर्तमान वाद का प्रश्न है, अधिनियम की धारा 12-A के अधीन कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई थी, जो वाद की पोषणीयता हेतु पूर्वापेक्षा है, अतः वाणिज्यिक न्यायालय इस संबंध में उठाए गए अभिवाक् को अस्वीकार करने में त्रुटिपूर्ण रहा। **पाटिल ऑटोमेशन (उपरोक्त)** के प्रकरण में निर्णय पर पुनः निर्भरता व्यक्त की गई तथा **आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड बनाम श्रीमती सरोज टंडन : CM (M) 459/2023 एवं CM APPL. 13679/2023**, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.09.2024 को विनिर्णीत, पर भी अवलंब किया गया जिसमें

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिनियम की धारा 12-A के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात संस्थित वाद में प्रतिदावा दाखिल करने हेतु भी अधिनियम की धारा 12-A के अनुपालन को अनिवार्य अभिनिर्धारित किया गया था।

12. यह प्रार्थना की गई कि अपील स्वीकार की जाए और वादपत्र को अस्वीकार करते हुए, निर्णय एवं आज्ञा को अपास्त किया जाए।

13. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जो अभिवाक् उठाने का प्रयास किया जा रहा है वह तथ्यों का विरूपण है, क्योंकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर के समक्ष आरम्भ किए गए संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता में, विवाद में स्पष्ट रूप से 1,44,75,510/- रुपये की कुल बकाया राशि इंगित की गई थी और एक विशिष्ट प्रकथन किया गया था कि वादी को उक्त राशि का दावा करने का अधिकार है और वह वर्तमान में केवल 20 लाख रुपये का दावा कर रहा है। वास्तव में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर के कार्यालय ने 1,44,75,510/- रुपये की राशि के विवाद को दर्शित किया था।

14. यह निवेदन किया गया कि तथ्य यह है कि वादपत्र वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता हेतु लौटाया/निर्दिष्ट किया गया था, उसे किसी भी प्रकार से पूर्ववर्ती वाद नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसे वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पंजीकृत भी नहीं किया गया था और एक बार संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता समाप्त हो जाने पर, वादी ने संपूर्ण विवादित राशि हेतु वाद संस्थित किया था, जिसका वह विधि के अधीन हकदार था।

15. इस बात पर बल देने का प्रयास किया गया कि संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता पक्षकारों के मध्य विवाद के संबंध में आयोजित की जाती है और उसे केवल उस तक सीमित नहीं किया जा सकता जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष दावे की मात्रा के रूप में दर्शाया गया है, और इसलिए उठाए गए अभिवाक् का कोई आधार नहीं है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



16. यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्तागण प्रारंभ से ही छद्म रीति से कार्य कर रहे हैं। एक ओर वे बारंबार सूचनाओं के बावजूद संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता में उपस्थित नहीं हुए, वाद में उन्होंने साधारण आदेशिका/रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रेषित समन की तामील से बचाव किया और जब समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की गई, तब अपीलकर्तागण उपस्थित हुए और तत्पश्चात लिखित अभिकथन दाखिल नहीं किया तथा एक अस्तित्वहीन मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है, जिसे वाणिज्यिक न्यायालय ने उचित रूप से अस्वीकार कर दिया। अतः, अपील व्यय सहित खारिज किए जाने योग्य है।

17. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।

18. चूंकि संपूर्ण विवाद संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता के इर्द-गिर्द केंद्रित है, अतः उन उपबन्धों को उस सीमा तक उद्धृत करना उचित होगा जहाँ तक वे सुसंगत हैं:

"12A. संस्थापना-पूर्व मध्यस्थम् और समझौता - (1) इस अधिनियम के अधीन किसी त्वरित अंतरिम अनुतोष की परिकल्पना न करने वाले किसी वाद को तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि वादी केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति और प्रक्रिया के अनुसार संस्थापना-पूर्व मध्यस्थम् के उपचार का उपभोग न कर ले।

(2) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, संस्थापना-पूर्व मध्यस्थम् स्थापन के प्रयोजनों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अधीन गठित प्राधिकरणों को प्राधिकृत कर सकती है।"

19. उपर्युक्त उपबन्धों के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि कोई वाद, जिसमें किसी त्वरित अंतरिम अनुतोष की परिकल्पना नहीं की गई है, तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



वादी केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति और प्रक्रिया के अनुसार संस्थापना-पूर्व मध्यस्थम् के उपचार का उपभोग न कर ले।

20. उक्त उपबन्धों को कार्यान्वित करने हेतु, वाणिज्यिक न्यायालय (संस्थापना-पूर्व मध्यस्थम् और समझौता) नियमावली, 2018 ('नियमावली') विरचित किए गए हैं जिनमें प्रक्रिया विहित की गई है। स्वीकृत रूप से, वर्तमान वाद में कोई त्वरित अंतरिम अनुतोष नहीं माँगा गया था क्योंकि वाद ब्याज सहित 1,44,75,510/- रुपये की वसूली हेतु एक साधारण धन-संबंधी वाद था, अतः वादी के लिए संस्थापना-पूर्व मध्यस्थम् की प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य था।

21. यह देखा जाएगा कि प्रारम्भ में वादी ने दिनांक 03.11.2022 को वाणिज्यिक न्यायालय, गोरखपुर के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया था और उसी दिन पीठासीन अधिकारी ने न्यून न्यायालय शुल्क के सम्बन्ध में आदेश पारित किया और मामले को संस्थापना-पूर्व मध्यस्थम् हेतु निर्दिष्ट करने के आवेदन का संज्ञान लेते हुए यह आदेशित किया कि यह समुचित होगा कि वाद को संस्थापना-पूर्व मध्यस्थम् हेतु निर्दिष्ट किया जाए, और तदनुसार आदेशित किया।

22. उक्त आदेश, जो वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2022 को वादपत्र एवं मामले को संस्थापना-पूर्व मध्यस्थम् हेतु निर्दिष्ट करने के आवेदन के प्रस्तुतीकरण पर पारित किया गया था, तात्त्विक रूप से विधि के अनुसार प्रस्तुतीकरण हेतु वादपत्र को लौटाए जाने की प्रकृति का था क्योंकि वह अधिनियम की धारा 12-A की अपेक्षा का अनुपालन नहीं करता था और उक्त उपबन्ध को लागू करने की प्रार्थना की गई थी।

23. प्रत्यर्थी-वादी ने अधिनियम के अधीन मध्यस्थम् प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु नियमों की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप 1 के अनुसार 1,000/- रुपये के अपेक्षित शुल्क के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर के समक्ष आवेदन दाखिल किया। अनुसूची-1 में विहित प्ररूप 1 में अन्य बातों के साथ-साथ पक्षकारों का विवरण, विवाद का विवरण और प्रदत्त शुल्क का विवरण अपेक्षित है। विवाद के विवरण से सम्बन्धित प्ररूप का सुसंगत भाग अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार है:

"विवाद का विवरण:

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



1. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का 4) की धारा 2(1)(c) के अनुसार विवाद की प्रकृति:
2. दावे की रकम:
3. सक्षम न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार:
4. वाणिज्यिक विवाद का संक्षिप्त सारांश (5000 शब्दों से अधिक न हो):
5. सुसंगतता के अतिरिक्त बिन्दुः"

24. प्रत्यर्थी-वादी ने अधिनियम की धारा 2(1)(c) के अनुसार विवाद की प्रकृति के सम्बन्ध में 'माल का वहन' तथा दावे की रकम के सम्बन्ध में '20 लाख रुपये' इंगित किया। वाणिज्यिक विवाद के संक्षिप्त सारांश में विवाद के तथ्यों को प्रस्तुत करने के पश्चात् निम्नानुसार इंगित किया गया था:

"14. यह कि, चूँकि वादी वित्तीय संकट/असमर्थता का सामना कर रहा है और इसलिए माननीय वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष वसूली वाद हेतु पूर्ण न्यायशुल्क वहन करने की स्थिति में नहीं है, अतः 1,44,75,510/- रुपये (एक करोड़ चौतालीस लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ दस मात्र) का दावा करने का अधिकार होने के बावजूद, वादी वर्तमान में प्रतिवादी से केवल 20,00,000/- रुपये (बीस लाख रुपये) का दावा कर रहा है।"

(बल दिया गया)

25. यह देखा जाएगा कि वादी ने यह इंगित किया कि 1,44,75,510/- रुपये का दावा करने का अधिकार होने के बावजूद, वह वर्तमान में प्रत्यर्थी से केवल 20 लाख रुपये का दावा कर रहा है।

26. सूचनाएँ जारी की गईं और अन्ततः जब अपीलार्थीगण मध्यस्थम् हेतु उपस्थित नहीं हुए, तो नियमावली के प्ररूप 3 में एक 'नॉन-स्टार्टर रिपोर्ट' तैयार की गई, जिसमें यह इंगित किया गया कि विपक्षी पक्षकार की उपस्थिति हेतु नियत तिथियाँ '12.12.2022, 22.12.2022, 04.01.2023, 16.01.2023, 27.01.2023, 06.02.2023 एवं 16.02.2023' थीं और नॉन-स्टार्टर रिपोर्ट का कारण था 'प्रतिवादी पक्षकार की निरंतर अनुपस्थिति'।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



27. जहाँ तक प्ररूप 1 में दावे की रकम के सम्बन्ध में की गई इंगिती का प्रश्न है, जिसे अपीलार्थीगण की ओर से यह दावा करने हेतु मुख्य बिन्दु बनाया जा रहा है कि प्रत्यर्थी-वादी द्वारा संचालित संस्थापना-पूर्व मध्यस्थम् प्रश्नगत वाद, जो 1,44,75,510/- रुपये के लिए था, के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता, उक्त इंगिती का एकमात्र महत्व नियमों के नियम 11 के अधीन मध्यस्थम् शुल्क के प्रयोजन हेतु है, जिसके अन्तर्गत मध्यस्थम् आरम्भ होने से पूर्व वाणिज्यिक विवाद के पक्षकारों को अनुसूची II में विनिर्दिष्ट दावे की रकम के अनुसार समान रूप से साझा किया जाने वाला एकमुश्त मध्यस्थम् शुल्क प्राधिकरणों को भुगतान करना अपेक्षित होता है।

28. अनुसूची II नियम 11 के अधीन मध्यस्थम् शुल्क का उपबन्ध निम्नानुसार करती है:

क्रम संख्या	दावे की रकम	प्राधिकरण को देय मध्यस्थता शुल्क (भारतीय रुपयों में)
1.	3,00,000/- रुपये से 10,00,000/- रुपये तक	15,000/- रुपये
2.	10,00,000/- रुपये से अधिक और 50,00,000/- रुपये तक	30,000/- रुपये
3.	50,00,000/- रुपये से अधिक और 1,00,00,000/- रुपये तक	40,000/- रुपये
4.	1,00,00,000/- रुपये से अधिक और 3,00,00,000/- रुपये तक	50,000/- रुपये
5.	3,00,00,000/- रुपये से अधिक	75,000/- रुपये]

29. उपर्युक्त से यह प्रत्यक्ष है कि प्रतिवादी-वादी द्वारा प्रारम्भ की गई संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता, 1,44,75,510/- रुपये की धनराशि के विवाद से सम्बन्धित है, तथापि यह उपदर्शित किया गया था कि वह तत्समय के लिए अपना दावा केवल 20 लाख रुपये तक ही सीमित रखेगा।

30. यह सुसंगत होगा कि इस तथ्य पर ध्यान दिया जाए कि प्रारूप-1 में कार्यालय प्रयोग हेतु भी स्थान है जिसमें कार्यालय ने दावे की रकम 1,44,75,510/- रुपये उपदर्शित की है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



31. उपर्युक्त से यह प्रत्यक्ष है कि यद्यपि वादी, संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता हेतु निर्देश की मांग करने वाले आवेदन के साथ वादपत्र लेकर वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, किन्तु वादपत्र को ग्रहण नहीं किया गया और वादी को संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता हेतु निर्देशित किया गया, जिस प्रक्रिया को उसके द्वारा अपनाया गया और ततपश्चात्, वर्तमान वाद का वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी ने वाद का मूल्यांकन 1,44,75,510/- रुपये किया और वादपत्र के पैरा-26 में संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता प्रारम्भ करने का अभिकथन किया। उक्त पैरा निम्नानुसार पठित है:

“26. यह कि, ततपश्चात्, वादी ने बचावकर्ता के विरुद्ध अपनी बिल राशियों की वसूली की प्रक्रिया आरम्भ की, विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के समक्ष कार्यवाही सन्दर्भ संख्या - 2022 का 31 के माध्यम से आरम्भ की गई, किन्तु बारंबार सूचनाओं के बावजूद, बचावकर्ता उक्त कार्यवाही में प्रतिभाग करने में विफल रहा, तदनुसार, कार्यवाही दिनांक 20.02.2023 (बीस फरवरी दो हजार तेईस) को समाप्त हो गई।”

32. स्थिति भिन्न होती यदि वादी ने दिनांक 20.02.2023 को संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता समाप्त होने के पश्चात्, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश II नियम 2 के अधीन अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त सीमित दावे के साथ प्रारम्भिक वादपत्र प्रस्तुत किया होता और ततपश्चात् नवीन वादपत्र दाखिल किया होता तथा उसी संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता पर अवलंब लिया होता, तो ऐसा वादपत्र अधिनियम की धारा 12-A के उपबंधों के उल्लंघन में होता क्योंकि संचालित की गई संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता पूर्ववर्ती वादपत्र दाखिल करने के साथ ही निःशेष हो गई होती, तथापि चूंकि वादी ने वर्तमान वाद संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता के उपरान्त ही उस दावे के साथ संस्थित किया जो उस विवाद के अनुसार था जिसे संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता में स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया था, अतः वादी प्रश्नगत वाद के संबंध में अधिनियम की धारा 12-A के उपबंधों के अनुपालन की मांग करने का हकदार था।

33. जहाँ तक अपीलकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा अवलंबित **पाटिल ऑटोमेशन (उपरोक्त)** में पारित निर्णय का प्रश्न है, उक्त निर्णय संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता प्रारम्भ करने की आवश्यकता से संबंधित है और इसमें प्रतिपादित किया गया है कि अननुपालन की स्थिति में वादपत्र का नामंजूर किया जाना परिणामी होगा, जो अभिनिर्धारण, प्रत्यक्षतः वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होगा क्योंकि प्रश्नगत

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विवाद/वाद के सम्बन्ध में वादी द्वारा संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता प्रारम्भ की गई थी, किन्तु अपीलकर्तागण द्वारा प्रतिभाग न किए जाने के कारण वही नॉन-स्टार्टर रही।

34. आदित्य बिरला फैशन एण्ड रिटेल लिमिटेड (उपरोक्त) के प्रकरण में निर्णय भी वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता क्योंकि वह प्रतिदावे पर अधिनियम की धारा 12-A की प्रयोज्यता से सम्बद्ध है, क्योंकि आदेश VIII नियम 6A, सिविल प्रक्रिया संहिता के निबन्धनों में प्रतिदावे का वही प्रभाव होता है जो प्रतिवाद के रूप में वाद का होता है।

35. उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत, यह प्रत्यक्ष है कि अधिनियम की धारा 12-A के उपबन्ध किसी ऐसे वाद के लिए संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता की अपेक्षा करते हैं, जिसमें किसी त्वरित अंतरिम अनुतोष की परिकल्पना नहीं की गई हो। तथापि, संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता के पश्चात् दाखिल किए जाने वाले वाद को, संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता में उपदर्शित दावे की रकम के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि समग्र योजना में 'विवाद' के सम्बन्ध में मध्यस्थता अपेक्षित है। संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता के आवेदन में दावे की रकम के सम्बन्ध में किया गया उपदर्शन मूलतः मध्यस्थता शुल्क के निर्धारण हेतु है, क्योंकि नॉन-स्टार्टर की स्थिति में प्रारम्भिक शुल्क केवल 1,000/- रुपये है।

36. उपर्युक्त के दृष्टिगत, अधिनियम की धारा 12-A के उपबन्धों के अननुपालन का अभिकथन करने के प्रयोजन से संस्थापन-पूर्व मध्यस्थता में उपदर्शित दावे की रकम के आधार पर अपीलकर्तागण द्वारा उठाया गया अभिवाक् स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय के समक्ष तर्कित एकमात्र आधार में कोई सार नहीं है।

37. न्यायालय के समक्ष किसी अन्य पहलू पर बहस नहीं की गई।

38. उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत, हम वर्तमान अपील में कोई सार नहीं पाते। अतः यह **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



26 फरवरी, 2026

आर.के.

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"